HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16136/2026
CNR: RJHC020983852026 | URN: CRLMB / 29877U / 2026

Yogesh Kumar S/o Roshanlal, Aged About 23 Years, R/o Badh Theguwas Tan Bansur Police Station Bansur District Kotputli Behror. (Accused In Central Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jai Raj Tantia
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 328/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 103(1) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी–अभियुक्त के पिता रोशनलाल द्वारा दर्ज करवाई गई थी। रोशनलाल विचारण के दौरान पीडब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुआ है और अपने कथन में प्रार्थी द्वारा कोई भी आपराधिक कृत्य करने से इनकार किया है तथा अभियोजन के प्रति पक्षद्रोही रहा है। इस साक्षी ने प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं दी है। प्रकरण में मृतक की पत्नी कमला, पुत्रवधू मुकेश देवी, दोहिता बबलू और अन्य सभी साक्षीगण जो न्यायालय में पीडब्ल्यू 2 से 8 के रूप में परीक्षित हुए हैं तथा अपने सम्पूर्ण बयानों में प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार के कथन नहीं किये हैं। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक

09.02.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि सभी परीक्षित साक्षीगण प्रार्थी के परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने अन्वेषण के दौरान प्रार्थी के विरूद्ध कथन किये थे, परन्तु न्यायालय में पक्षद्रोही रहे हैं, क्योंकि उनका प्रार्थी के साथ समझौता हो गया है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का परिवादी रोशनलाल पीडब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित होकर पक्षद्रोही रहा है तथा प्रार्थी के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया है। अन्य साक्षीगण जो मृतक के रिश्तेदार हैं, वे पीडब्ल्यू 2 लगायत पीडब्ल्यू 8 के रूप में परीक्षित हुए हैं तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही रहे हैं तथा अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 09.02.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

55/VISHAL SHARMA